न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 07 / 2019
दायर दिनांक : 25–02–2019
निर्णय दिनांक :– 13–08–2019

अनवान

श्रीमती छगनी पत्नि श्री भंवर लाल जी निवासी प्रतापपुरा तहसील कुंवारिया
जिला राजसमन्द

———निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत भावा जरिये संरपच, ग्राम पंचायत भावा तहसील कुंवारिया
   जिला राजसमन्द
2. श्रीमती कस्तुरी पत्नी डालचन्द जाति लौहार निवासी प्रतापपुरा , तहसील कुंवारिया
   जिला राजसमन्द

—— गैर निगराकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख पत्रावली संख्या कुछ नही दिनांक दायर 27.08.2004 को निरस्त करवाने बाबत्

उपस्थित :–

1– श्री डुंगर सिंह कर्णावट, अधिवक्ता निगराकार
2– श्री श्याम सुन्दर पालीवाल अधिवक्ता गैर निगराकार

–: निर्णय :–

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अपीलांट द्वारा विपक्षी श्रीमती कस्तुरी विपक्षी संख्या 2 के नाम से प्रतातपुरा में भुखण्ड का पट्टा जारी होना बताया हुआ है, उस पट्टे को निरस्त करवाने के लिये निवेदन किया है।

प्रस्तुत निगरानी के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नही थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी गयी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत

शपथ पत्र के अनुसार निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर निगरानी को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने निवेंदन किया है कि ग्राम प्रतापपुरा, तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपय का एक भुखण्ड जिसमें प्रार्थीया द्वारा मकानात बनाये गये है जिसका पट्टा पूर्व में प्रार्थीया की नानी सास श्रीमती जमकुबाई बेवा रामाजी लौहार के नाम से दिनांक 30.03.1990 को ग्राम पंचायत भावा द्वारा लघु व सिमान्त काश्तकार व कारीगर होने से निःशुल्क दिया गया था जिसकी नपती व पडौस निम्न है –

पूर्व दिशा में पडौस, सरकारी पडत भूमि

पश्चिम दिशा में आम रास्ता

उत्तर दिशा में आबादी

दक्षिण दिशा में भंवरलाल लौहार का मकान

श्रीमती जमकुबाई ने उक्त भूखण्ड प्रार्थीया को दे दिया और प्रार्थीया ने ही उक्त भूखण्ड पर मकान बनाया है जिस पर बिजली एवं नल का कनेक्शन लिया हुआ है। इसी भूखण्ड के बारे में ग्राम पंचायत भावा द्वारा एक पट्टा विपक्षी संख्या दो को दे दिया है प्रार्थीया ने उक्त पट्टे की नकल पंचायत से मांगी परन्तु पंचायत ने उक्त पट्टे की नकल नहीं दी है । प्रार्थीया द्वारा श्रीमती कस्तुरीबाई को दिये गये पट्टे की पत्रावली की प्रमाणित प्रति दी गई उसमें कोई प्रोसिडिंग लिखी हुई नहीं है खाली कागजो पर सरपंच के हस्ताक्षर है व अन्तिम पृष्ठ पर भी खाली पेपर पर सरपंच व 3–4 अन्य के हस्ताक्षर करा रखे है। आपत्ति आहवान पत्र पर भी भूमि का कोई विवरण नहीं दे रखा है व एक अन्य पृष्ठ पर भी जो खाली है अन्त में सरपंच व चन्दरी तथा गोपीलाल के हस्ताक्षर है। ग्राम पंचायत भावा द्वारा फर्जी तरीके से विपक्षी संख्या दो को उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी कर बनाया गया है जो फर्जी होकर निरस्त किये जाने योग्य है । पटटा पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करनें से स्पष्ट है कि न तो पत्रावली पर कोई पत्रावली नम्बर दर्ज है न तारीख फैसल दर्ज है ना ही कोई प्रोसिडिंग लिखी गई है न पर्चा मौका बनाया गया है न कोई निर्णय लिखा गया है। विवादित पट्टा प्रार्थीया की नानीया सास झमकुबाई के नाम दिया हुआ है । उसी जगह का पट्टा विपक्षी संख्या दो को कैसे दिया जा सकता है। जबकि श्रीमती झमकु के कोई पुत्र नहीं होने से उन्होनें यह सम्पति प्रार्थीया द्वारा सेवा चाकरी करने से उसे सोप दी ओर प्रार्थीया का ही कब्जा है। प्रार्थीया ने ही अपने नाम से विद्युत सम्बन्ध व पानी नल का सम्बन्ध ले रखा है। विपक्षी संख्या एक ने जानबुझकर कानून को ताक में रखकर चोरी छुपे बिना दर्ज किये मिसल बनाकर बिना कोई तारीख लिखे उक्त विपक्षी संख्या दो के नाम पर पट्टा जारी कर दिया है जो कानुनन अवैध अनाधिकार व शुन्य की परिभाषा में आता है। पट्टा जारी करने के बारे में कोई निलामी नही की गई न कोई राशि पंचायत में जमा हुई न रसीद कटी न पत्रावली पर इसका उल्लेख है सारा काम सरपंच व तत्कालीन सचिव द्वारा फर्जी किया गया है। अतः उक्त भूखण्ड पर विपक्षी संख्या दो को जारी किया गया पट्टा फर्जी होकर निरस्त किये जाने योग्य है । निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जावे एवं विपक्षी संख्या दो को जारी पटटा दिनांक 27.08.2004 निरस्त किया जावे।

गैर निगराकार के अधिवक्ता ने विपक्षी संख्या 2 की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया है । जिससे दौरान बहस खारीज किया गया।

गैर निगराकार के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया कि विपक्षी संख्या 2 व उसके पति काफी वृद्ध हैं तथा प्रार्थीया व उसका परिवार उनकी देखभाल नहीं करता हैं, न ही

भरण–पोषण करता हैं। आये दिन प्रार्थीया एवं उसके परिवार वाले लडाई–झगडा एंव मारपीट करते रहते हैं। विपक्षी संख्या दो के दो पुत्र है, एक प्रार्थी का पति एवं दूसरा श्यामलाल, जो कि जोधपुर में रहता हैं। विपक्षी संख्या 2 को आखों से दिखाई नहीं देता हैं, बडी मुश्किल से विपक्षी संख्या 2 के पति खाना बना दोनों जीवन–यापन कर रहें है। कोई भी व्यक्ति विपक्षी संख्या 2 एवं उनके पति से मिलने आता हैं, तो प्रार्थीया एवं उसके परिवार वाले गाली–गलोच करते हैं तथा किसी भी व्यक्ति को विपक्षी संख्या 2 व उसके पति की मदद नहीं करनें देते है। विपक्षी संख्या 2 को विरासत से प्राप्त सम्पत्ति हैं, उसमें किसी का भी कोई हक, अधिकार नहीं रहता हैं। विरासत से प्राप्त सम्पत्ति का पट्टा ग्राम पंचायत ने दिया हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी रूकावट नहीं है। यदि कोई तकनीकी खामी रही भी हैं, तो उसके आधार पर विपक्षी संख्या 2 का पट्टा अवैध नहीं होता हैं। आक्षेपित पट्टा के सम्बन्ध में कोई लोकस स्टेंडाई नहीं हैं। प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें का करनें का अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थीया ने जिस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, उसके सम्बन्ध में अपने हक, अधिकार की घोषणा सक्षम सिविल न्यायालय से नहीं करा लेवे। तब तक आवेदन प्रस्तुत करने की अधिकारी नहीं है। अतः निवेदन है कि विपक्षी संख्या 2 को जारी किया गया पटटा सही एवं वैधानिक है। निगराकार की निगरानी अस्वीकार फरमायी जाकर प्रार्थीया का पट्टा के सम्बन्ध में प्रस्तुत निगरानी सव्यय खारीज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया गया । इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत भावा द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम पेज पर प्रारम्भिक पत्र संग्रह दिनांक 27.08.2004 लगा हुआ है। उस पत्र पर सरपंच श्री भंवरलाल के हस्ताक्षर है। दूसरे पत्र पर आज्ञाओं की सूची लगी हुई हैं जिस पर पेज खाली होकर सरपंच के हस्ताक्षर है। तीसरा पेज आज्ञाओं की सूची खाली पडा हुआ है। चतुर्थ पेज पर श्रीमती कस्तुरी का प्रार्थना पत्र है। जिस पर लिखा है कि स्वयं की पुस्तैनी जमीन का पटटा चाहने बाबत । पंचम पेज पर आपत्ति आवहान पत्र लगा हुआ है। जिसपर कस्तुरी का नाम व पति का नाम अंकित है भूमि का विवरण खाली होकर सरपंच के हस्ताक्षर है। षष्टम पेज पर दिशायें अंकित होकर सरपंच के हस्ताक्षर है। सप्तम पेज खाली होकर चन्दरी ,गोपीलाल एवं सरपंच के हस्ताक्षर है। अतः फर्जी तरीके से विपक्षी संख्या दो श्रीमती कस्तुरी को उक्त भूखण्ड पर पट्टा जारी करने सम्बन्धी सभी कार्यवाही फर्जी होकर निरस्त किये जाने योग्य है । ग्राम पंचायत द्वारा श्रीमती कस्तुरी पति डालु लौहार निवासी प्रतापपुरा के पक्ष में पटटा सम्बन्धी समस्त कार्यवाही निरस्त की जाती है। पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा श्रीमती जमकु बाई पति रामा लौहार के नाम है। विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कब्जा श्रीमती छगनी बाई पति भंवरलाल का है। उसके द्वारा प्रमाणिकरण में बिजली के बिल की फोटो प्रति पेश की गई है । विवादित भूखण्ड के कब्जे के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने से प्रकरण ग्राम पंचायत भावा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे उभयपक्षों की सुनवाई कर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर नए सिरे से विधि अनुसार पट्टे जारी करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

चुंकि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी तथा मनमाने तरीके से खाली कागजों के आधार पर जारी किया गया है।

अतः विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजसमन्द को आदेश जारी हो कि वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से तत्कालीन सरपंच के विरूद्ध प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर प्रति पेश करें। तथा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस जारी कर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर पालना पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जिला-राजसमन्द